पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जून, 2008 ई0 (ज्येष्ठ 31, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–25

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	291–294	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	131–141	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

05 जून, 2008 ई0

संख्या 1380/18(1)/देहरादून–जनपद उत्तरकाशी, तहसील बड़कोट, ग्राम बीफ एवं खरसाली में स्वैच्छिक चकबन्दी प्रक्रिया के सम्पादन हेतु उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1954) (समय–समय पर यथासंशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 44 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्यपाल, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को उपसंचालक चकबन्दी, उत्तरकाशी तथा उपजिलाधिकारी, बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, तहसील बड़कोट के अधिकार अग्रिम आदेशों तक प्रतिनिधानित किये जाने के आदेश देते हैं।

आज्ञा से

एन0 एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

शहरी विकास विभाग

आदेश

10 जून, 2008 ई0

संख्या 720/IV–श0वि0–08–124(सा0)/2005–सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46, वर्ष 1993) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के समस्त जिलों के जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकारिता में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का यथाशक्य कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समस्त शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कार्यकारी प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

संख्या : 1355/VIII/08–25–करा0बी0यो0/2008

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

श्रम विभाग देहरादून : दिनांक 4 जून, 2008

विषय–वित्तीय वर्ष 2008–09 की नई माग के तहत कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, सिडकुल हरिद्वार एवं भगवानपुर, जनपद हरिद्वार की स्थापना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : भगवानपुर/विस्तारीकरण/करा0बी0यो0/2004, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र व

भगवानपुर क्षेत्र में एक–एक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना करते हुए न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 20 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की गरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी, 2009 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, सिडकुल क्षेत्र, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र०स०	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले कुल पदों की संख्या	वेतनमान (रुपये में)
1.	चिकित्साधिकारी एलोपैथिक	03 (दो पद भगवानपुर व एक पद सिडकुल हरिद्वार)	8000–13500
2.	फार्मासिस्ट (एलोपैथिक)	03 (दो पद भगवानपुर व एक पद सिडकुल हरिद्वार)	4500–7000
3.	वरिष्ठ सहायक	01 (यह पद भगवानपुर हेतु)	4000–6000
4.	कनिष्ठ सहायक	02 (एक पद सिडकुल हरिद्वार व एक पद भगवानपुर हेतु)	3050–4590
5.	ए०एन०एम०/प्रसाविका	03 (दो पद भगवानपुर व एक पद सिडकुल हरिद्वार)	3300–4900
6.	चतुर्थ श्रेणी	08 (चार पद भगवानपुर व चार पद सिडकुल हरिद्वार)	2550–3200
	योग	20 (बीस पद)	

2–उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। चतुर्थ श्रेणी के पदों को नियमित नियुक्ति के स्थान पर Out Source के माध्यम से भरा जायेगा।

3–उक्त दोनों नवसृजित औषधालयों की स्थापना के फलस्वरूप आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत की जायेगी।

4–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निदर्शन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उन्हीं मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6–व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

7–कर्मचारी राज्य बीमा नियम मेडिकल मैनुअल के पैरा 1.10 के प्राविधानानुसार योजना के अन्तर्गत उपरोक्त दो नए औषधालयों की स्थापना पर आने वाले सम्पूर्ण व्यय को शत–प्रतिशत भुगतान स्थापना से निरन्तर तीन वर्ष की अवधि तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है, इन औषधालयों पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय में राज्य सरकार को कोई धनराशि स्थापना से निरन्तर तीन वर्ष की अवधि तक के लिए नहीं देनी है। अतः इस सम्बन्ध में निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून का स्वयं का

यह दायित्व होगा कि वे उक्त दोनों औषधालयों पर होने वाले सम्पूर्ण आय-व्यय का विवरण पृथक से पंजिका में रखेंगे, तथा जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायेंगे तथा भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

8-तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरे जाने में यथासम्भव प्रथम वरीयता प्रदेश के छंटनीशुदा/सरप्लस कर्मियों को दी जायेगी और उक्तानुसार कर्मी प्राप्त नहीं होते हैं, तब ही नियमावली/शासन के नवीनतम आदेशों के अनुरूप भर्ती की जायेगी।

9-उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, आयोजनेत्तर, 102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें, 04-क्षेत्रीय कार्यालय (88 प्रतिशत केन्द्रांश) के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यू0ओ0 116 NP/XXVII(5)/2008, दिनांक 04 जून, 2008 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1

विज्ञप्ति

सेवानिवृत्ति

21 मई, 2008 ई०

संख्या 956/X-1-2008-4(12)/2008-श्री अजीत कुमार सिंह, सहायक वन संरक्षक, जिनकी जन्म तिथि 15-6-1948 है, 60 वर्ष की अधिवर्षता पूर्ण कर दिनांक 30-6-2008 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

ओ० पी० तिवारी,
उप सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 26 हिन्दी गजट/416-मग 1-2008 (कम्प्यूटर/रोजिना)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जून, 2008 ई0 (ज्येष्ठ 31, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, चकबन्दी संचालक, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

23 मई, 2008 ई0

संख्या 3195/I-VII/चक0सं0/2008–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 248 सी0एम0 (2)/18(1)/2007, दिनांक 22–1–2008 के क्रम में उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम 5, 1954 ई0) के धारा 4 की उपधारा(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/ए–813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, कुवर राज कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तराखण्ड, देहरादून, जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के निम्न ग्राम के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 169/मु0रा0आ0 (चक0), दिनांक 8–5–2003 में आंशिक संशोधन करते हुए तहसील लक्सर के ग्राम खेड़ी मुबारिकपुर के (निम्न सूची अनुसार) खसरा नम्बरों के क्षेत्रफल को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुए इस ग्राम की विज्ञप्ति को आंशिक रूप से एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आंशिक प्रारूपापन हेतु ग्राम की सूची

तहसील	परगना	जनपद	क्र0सं0	ग्राम का नाम	विशेष विवरण
लक्सर	मंगलौर	हरिद्वार	01	खेड़ी मुबारिकपुर	चकबन्दी पृथक किये जाने हेतु क्षेत्रफल/गाटों की सूची

ग्राम खेड़ी मुबारिकपुर, परगना मंगलौर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के निम्न गाटों को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किये जाने हेतु सूची

क्र0सं0	गाटा सं0 (खसरा नं0)	क्षेत्रफल हे0 (रकबा)	क्र0सं0	गाटा सं0 (खसरा नं0)	क्षेत्रफल हे0 (रकबा)
1	20/1	0.154	6.	26/01	0.359
2	21	0.287	7.	28/01	1.035
3	22	0.133	8.	20/02	0.533
4	24/01	0.113	9.	30	0.481
5	24/02	0.051	10.	31	0.256

क्र०सं०	गाटा सं० (खसरा नं०)	क्षेत्रफल हे० (रकबा)	क्र०सं०	गाटा सं० (खसरा नं०)	क्षेत्रफल हे० (रकबा)
11.	32	1.919	36.	64/1	2.664
12.	41	2.823	37.	64/2	1.844
13.	42	1.311	38.	66	1.270
14.	44	0.510	39.	68	1.229
15.	45	1.219	40.	70	2.469
16.	46	1.029	41	71	0.589
17.	47	0.266	42.	72	1.342
18.	48	1.763	43.	73	0.543
19.	49	2.315	44.	74	1.157
20.	50/1	0.297	45.	75	0.066
21	50/2	0.297	46.	76	0.302
22.	50/3	0.297	47.	77	0.020
23	51	1.311	48.	78	1.999
24.	52/1	0.046	49.	20/2	0.031
25	52/2	0.579	50.	23	0.020
26.	50/1	0.297	51	27	0.264
27.	52/3	0.328	52	40	0.020
28	53	0.819	53.	67	0.051
29.	55	0.820	54.	69	0.077
30	57	1.131	55.	80	0.051
31.	58	2.264	56.	43	0.686
32	59	2.387	57.	54	0.154
33.	61	3.532	58.	56	0.179
34.	62	3.032	59.	65	0.041
35	63	2.428			

ह० अपठनीय
स० बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी
प्रभारी बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी,
हरिद्वार, स्थान रुड़की।

ह० अपठनीय
जिलाधिकारी/जिला उपसंचालक,
चकबन्दी, हरिद्वार।

आज्ञा से,
कुँवर राज कुमार,
चकबन्दी संचालक, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इ०), प्रथम तल,
नियर आई०एस०बी०टी०, भाजरा, देहरादून

अधिसूचना

मार्च 11, 2008

सं० एफ–9(19)आरजी/यूईआरसी/2008/1194—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 व 86 के साथ पठित धारा 181 के अधीन न्यस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सामर्थ्य हो कर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी हेतु उपयोग किये जाने के लिये वार्षिक स्थाई वृद्धि कारकों को विनिर्दिष्ट करने के लिये, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

यह विनियम अंग्रेजी विनियम दिनांक 12-01-2008 का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी संदर्भ के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ व निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (स्वतः वृद्धि कारकों के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2008 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) इन विनियमों का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

2. परिभाषाएं एवं व्याख्या :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(ए) 'अधिनियम' से, इसमें संशोधन सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

(बी) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ व अगले कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त अवधि समावेशित है।

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्द व अभिव्यक्तियाँ जो उपयोग किये गये हैं किंतु परिभाषित नहीं किये गये हैं किंतु अधिनियम या यूईआरसी (जल विद्युत उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 या यूईआरसी (पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 या यूईआरसी (वितरण शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उक्त विनियमों (जो सुसंगत शुल्क विनियमों के रूप में सन्दर्भित हैं) में दिये गये हैं।

अध्याय 2 : स्वतः वृद्धि कारक की संगणना

3. स्वतः वृद्धिकारक की अनुप्रयोज्यता :

(1) मुद्रा स्फीति में वृद्धि हेतु उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति के लिये वार्षिक स्वतः वृद्धि कारक का प्रत्येक वर्ष के लिये अवधारण औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रा स्फीति का भारित औसत तथा थोक मूल्य सूचकांक में चयनित घटकों के सूचकांक को लागू कर के किया जायेगा।

(2) इन विनियमों के अनुसार अवधारित वार्षिक स्वतः वृद्धि कारक निम्नलिखित के साथ–साथ उपयोग किये जायेंगे :–

(ए) अनुज्ञप्तिधारियों/उत्पादक कंपनियों के लिये ओ एंड एम व्ययों के वार्षिक स्वतः वृद्धि का अवधारण।

(बी) इन विनियमों के जारी होने के अगले वित्तीय वर्ष हेतु सुसंगत विनियमों में पूंजी लागत अवधारण को सीलिंग के लिये वार्षिक स्वतः वृद्धि का अवधारण।

(सी) उपयुक्त आयोग द्वारा उचित समझे गये किसी अन्य उद्देश्य हेतु।

4. पिछले वर्षों के लिये वास्तविक स्वतः वृद्धि कारक :

(1) एक विशिष्ट वर्ष (K^{th} year) के लिये वास्तविक स्वतः वृद्धि कारक (EFk) की गणना, निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग करते हुए प्रकाशित डाटा से की जायेगी :–

$EF_k = 0.40 \times Infl\ CPI_IW_k + 0.60 \times Infl\ WPI_SC_k$ (ताप उत्पादक कम्पनियों के लिये)

$EF_k = 0.55 \times Infl\ CPI_IW_k + 0.45 \times Infl\ WPI_SC_k$ (अन्य के लिये)

जहां,

Infl CPI_IWk – K^{th} वर्ष के लिये CPI_IW में औसत वार्षिक मुद्रा स्फीति

$$\left[\frac{CPI_IW_k}{CPI_IW_{k-1}}-1\right]\times 100$$

Infl WPI_SCk = K^{th} वर्ष के लिये WPI_SC में औसत वार्षिक मुद्रा स्फीति

$$\left[\frac{WPI_SC_k}{WPI_SC_{k-1}}-1\right]\times 100$$

CPI_IW_k = K^{th} वर्ष के लिये वार्षिक औसत CPI_IW

CPI_IW_{k-1} = K^{th} वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में लिये वार्षिक औसत CPI_IW

WPI_SC_k = K^{th} वर्ष में लिये वार्षिक औसत WPI_SC

WPI_SC_{k-1} = K^{th} से पूर्ववर्ती वर्ष में लिये वार्षिक औसत WPI_SC

(2) CPI_IW सरकार द्वारा सीधे प्रकाशित रूप में लिया जायेगा।

(3) WPI_SC की गणना निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग करते हुए उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित थोक मूल्यों पर समेकित डाटा से की जायेगी।

$$WPI_SC=\frac{\sum_{i=1}^{11} w_i WPI_i}{\sum_{i=1}^{11} w_i}$$

जहां,

WPIi ith वस्तु का थोक मूल्य सूचकांक है, तथा W_i सबंधित भार है।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों/उत्पादक कंपनियों हेतु नीचे दिये रूप में, WPI_SC को डिसएग्रीगेटेड WPI सीरीज (1993–94 = 100) से चयनित सुसंगत अवयवों में भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जायेगा–

वस्तुएं	भार (Wi)	
	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये	अन्यों के लिये
1. लुब्रिकैन्ट्स	—	0.16367
2. सूती कपड़ा	0.90306	0.90306
3. जूट, सन व मेस्टा कपड़ा	—	0.37551
4. कागज व कागज उत्पादक	2.04403	2.04403
5. रबर व प्लास्टिक उत्पाद	2.38819	2.38819
6. प्राथमिक भारी इनॉर्गेनिक रसायन	—	1.44608
7. प्राथमिक भारी ऑर्गेनिक रसायन	—	0.45456
8. पेंट, वार्निश व लेकर्स	0.49576	0.49576
9. तारपीन, सिंथेटिक रेजीन, प्लास्टिक सामग्री इत्यादि	0.74628	0.74628
10. माचिस, ज्वलनशील पदार्थ व अन्य रसायन	—	0.94010
11. अधातु खनिज उत्पाद	2.51591	2.51591

वस्तुएं	भार (Wi)	
	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये	अन्यों के लिये
12. प्राथमिक धातु मिश्र धातु तथा धातु उत्पाद	8.34186	8.34186
13. यंत्र व यांत्रिक औजार	8.36331	8.36331
14. यातायात उपकरण व हिस्से	4.29475	4.29475
उपरोक्त सभी (WPI_SC)	30.09315	33.47307

5. भविष्य के शुल्कों के लिये स्वतः वृद्धि कारक :

(1) सुसंगत शुल्क विनियमों की अनुप्रयोज्यता की अवधि में भविष्य शुल्क वर्षों हेतु स्वतः वृद्धि कारक, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के वार्षिक स्वतः वृद्धि कारकों के औसत पर आधारित होगा।

(2) इस औसत स्वतः वृद्धि कारक का उपयोग वर्तमान वर्ष तक पूर्ववर्ती पांच वर्ष की अवधि के मध्य वर्ष के अगले प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु तथा भविष्य के वर्षों हेतु किया जायेगा।

अध्याय 3 : प्रकीर्ण

6. व्यावृत्तियाँ :

(1) न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक आदेश निर्मित करने के लिये, इन विनियमों में कुछ भी आयोग की शक्तियों को प्रभावित या सीमित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

(2) इन विनियमों में कुछ भी, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने में बाधक नहीं होगा जो कि इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से भिन्न हो, यदि आयोग, मामले या मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी के निर्णय हेतु इसे उचित व समीचीन समझता है।

(3) जिसके लिये कोई विनियम नही बनाये गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिये बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

7. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ :

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है जो कठिनाई दूर करने के उद्देश्य से आयोग को आवश्यक प्रतीत हों तथा अधिनियम से असंगत न हों।

8. संशोधन की शक्ति :

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में परिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

मार्च 11, 2008

सं0 एफ–9(20)/आरजी/यूईआरसी/2008/1195–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 व 86 के साथ पठित धारा 181 के अधीन न्यस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम हो कर, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी हेतु शुल्क के सहीकरण के लिये निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के सहीकरण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2008 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) इन विनियमों का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

2. परिभाषाएं एवं व्याख्या :

(1) इन विनियमों में, तब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(ए) 'अधिनियम' से, इसमें संशोधनों सहित, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

(बी) 'वित्त वर्ष' से, कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ हो कर अगले कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त अवधि अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्द व अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु जो अधिनियम या यूईआरसी (जल विद्युत उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 या यूईआरसी (पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 या यूईआरसी (वितरण शुल्क अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 तथा अन्य शुल्क विनियमों में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या उक्त विनियमों में दिया गया है।

अध्याय 2 : सहीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

3. सहीकरण हेतु कार्यवाही का प्रारंभ :

(1) आयोग, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी की याचिका पर या स्वतः प्रेरणा से एक वित्तीय वर्ष हेतु युक्तिसंगत शुल्क आदेश में अनुमोदित स्तरों की तुलना में उस वित्तीय वर्ष में व्ययों, राजस्वों व परिचालक मानदण्डों के वास्तविक स्तरों की समीक्षा करेगा। ऐसा करते समय, आयोग, इन परिवर्तनों के कारणों पर विचार करने के पश्चात्, अगले वर्ष (वर्षों) के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित विस्तार तक इसके वित्तीय प्रभाव को आगे ले जाने की अनुमति दे सकता है। यह कार्यवाही सहीकरण की कार्यवाही कहलायेगी।

(2) एक वित्तीय वर्ष के लिये सहीकरण की कार्यवाही, सामान्यतः इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् की गई शुल्क अवधारण–कार्यवाही के साथ की जायेगी।

(3) सहीकरण, अस्थायी या लेखा परीक्षित डाटा के आधार पर किया जा सकता है तथा आयोग द्वारा जैसा आवश्यक समझा जाये, अलग से एक या अधिक मदों के लिये किया जा सकता है। लेखा परीक्षित डाटा के आधार पर की गई सहीकरण की कार्यवाही के पश्चात् सामान्यतः कोई सहीकरण नहीं किया जायेगा।

4. <u>सहीकरण की प्रक्रिया</u> :

(1) उत्पादन कम्पनी/अनुज्ञप्तिधारी अपने आगामी भविष्य के शुल्क प्रस्ताव के साथ नियंत्रण अयोग्य मदों में परिवर्तनों के कारण लाभ/हानियों के पास थ्रू हेतु प्रस्ताव फाईल करेगा। उत्पादक कम्पनी/अनुज्ञप्तिधारी इन शुल्क प्रस्तावों के साथ आयोग की समीक्षा हेतु इन विनियमों के अनुरूप सहीकरण हेतु दावे यदि कोई है, के साथ नियंत्रण योग्य मदों में परिवर्तन का विवरण भी फाईल करेगा।

(2) नियंत्रण अयोग्य मदों के कारण परिवर्तनों का सहीकरण वास्तविक/लेखा परीक्षित सूचना तथा आयोग द्वारा जांच के आधार पर किया जायेगा।

किंतु, सहीकरण की कार्यवाही के कारण शुल्क पर किसी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव के दावे केवल तभी स्वीकार किये जायेंगे यदि अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कम्पनी आयोग की संतुष्टि हेतु अपने दावे स्थापित करने के लिये समर्थक दस्तावेजों के साथ पर्याप्त कारण प्रदान करेंगे।

(3) आयोग द्वारा स्वीकार किये गये परिवर्तन (अंतर/अधिशेष) को सामान्यतः आगे ले जाने की अनुमति होगी तथा आगामी शुल्क अवधारण कार्यवाही के साथ इस पर विचार किया जायेगा। तथापि यदि आयोग आवश्यक समझे तो सहीकरण वर्ष की अवधि के उपभोग हेतु उपभोक्ता के बिलों में समायोजन हेतु आदेश दे सकता है :

किंतु यदि ऐसा अंतर बड़ा है तथा केवल एक वर्ष में उसकी वसूली/पास थ्रू साध्य नहीं है तो आयोग जैसा उपयुक्त समझे उस के अनुसार भविष्य के शुल्क वर्षों में परिशोधित की जाने वाली नियामक सम्पत्ति (राष्ट्रीय शुल्क नीति के खंड 8.2.2 में उपबंधित दिशा निर्देश के अनुसार) सृजित करने का दृष्टिकोण रख सकता है।

साथ ही नियंत्रण योग्य मदों के लिये लक्ष्यों की अति प्राप्ति के कारण कोई अधिशेष/प्राप्ति बचत को 50:50 के अनुपात में अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता के मध्य बांटा जायेगा।

परन्तु यह भी कि सुसंगत शुल्क विनियमों में निर्धारित किसी परिचालक मानक के उल्लंघन के परिणामस्वरूप [illegible] अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कम्पनी के खाते में ही होगी तथा उसे उपभोक्ता के साथ नहीं बांटा जायेगा।

(4) आयोग ऐसे परिवर्तनों की लागत आगे ले जाने की अनुमति दे सकता है जो कार्यकारी पूंजी के उधार हेतु स्वीकृत ब्याज दर तक सीमित हो।

<u>अध्याय 3 : सहीकरण हेतु सिद्धांत</u>

5. <u>नियन्त्रण योग्य व नियन्त्रण अयोग्य मदें</u> :

(1) सहीकरण के उद्देश्यों हेतु भौतिक व वित्तीय निष्पादन की विभिन्न मदों को उचित नियंत्रण के साथ इन मदों को प्रबंधित करने की अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कम्पनी की क्षमता पर निर्भर करते हुए 'नियन्त्रण योग्य' व 'नियन्त्रण अयोग्य' में श्रेणीबद्ध किया जायेगा।

(2) आयोग नियन्त्रण योग्य समझी जाने वाली मदों या मानदण्ड डाटा हेतु लक्ष्य निर्धारित करेगा तथा इसमें निम्नलिखित का समावेश होगा :-

(ए) उत्पादक कम्पनी के लिये -

(i) सकल स्टेशन ताप दर (तापीय)
(ii) उपलब्धता (तापीय)
(iii) सहायक ऊर्जा उपभोग
(iv) परिवर्तन हानि
(v) गौण ईंधन तेल उपभोग (तापीय)
(vi) परिचालन व अनुरक्षण व्यय
(vii) संयंत्र भार कारक (एक्स बस उत्पादन)
(viii) क्षमता सूचकांक (जल विद्युत)

(ix) ऋण–इक्विटी अनुपात
(x) कामकाज पूंजी पर ब्याज

(बी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये –

(i) पारेषण प्रणाली की उपलब्धता
(ii) परिचालन व अनुरक्षण व्यय
(iii) उप स्टेशनों में सहायक उपभोग
(iv) ऋण–इक्विटी अनुपात
(v) कामकाज पूंजी पर ब्याज

(सी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये–

(i) वितरण हानि
(ii) संकलन हानि
(iii) परिचालन व अनुरक्षण व्यय
(iv) ऋण–इक्विटी अनुपात
(v) कामकाज पूंजी पर ब्याज
(vi) आपूर्ति गुणवत्ता संबंधित निष्पादन मानदण्ड

(3) निम्नलिखित मानदण्डों को नियन्त्रण अयोग्य माना जायेगा :–

(ए) उत्पादक कंपनी के लिये –

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय
(ii) निर्धारित ऋण–इक्विटी मानक तथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अधीन, अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये पूंजी संरचना
(iii) अनुमोदित पूंजीकरण पर अवक्षय
(iv) अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋणों पर ब्याज
(v) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन
(vi) आय कर (नियमित कारोबार से उत्पन्न विस्तार तक)
(vii) इक्विटी पर वापसी
(viii) गैर शुल्क आय

(बी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये –

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय
(ii) निर्धारित ऋण–इक्विटी मानक व अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अधीन, अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये पूंजी–संरचना
(iii) अनुमोदित पूंजीकरण पर अवक्षय
(iv) अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋण पर ब्याज
(v) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन
(vi) आय कर (नियमित कारोबार से उत्पन्न विस्तार तक)
(vii) इक्विटी पर वापसी
(viii) गैर शुल्क आय

(सी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये–

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय
(ii) निर्धारित ऋण–इक्विटी मानक व अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अधीन, अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये पूंजी–संरचना
(iii) अनुमोदित पूंजीकरण पर अवक्षय
(iv) अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋण पर ब्याज
(v) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन

(vi) आय कर (नियमित कारोबार से उत्पन्न विस्तार तक)
(vii) इक्विटी पर वापसी
(viii) गैर शुल्क आय

(डी) खुदरा आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी के लिये –

(i) उर्जा क्रय मात्रा एवं लागत (यू आई ओवर ड्रावल सहित)
(ii) यू आई अंडर ड्रावल्स
(iii) अनुमोदित शुल्क पर विक्रय मिश्रण व राजस्व
(iv) आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय
(v) निर्धारित ऋण–इक्विटी मानक व अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अधीन, अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु पूंजी–संरचना
(vi) अनुमोदित पूंजीकरण पर अवक्षय
(vii) अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋण पर ब्याज
(viii) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन
(ix) आय कर (नियमित कारोबार से उत्पन्न विस्तार तक)
(x) इक्विटी पर वापसी
(xi) गैर शुल्क आय

6 नियन्त्रण योग्य व नियन्त्रण अयोग्य मदों का व्यवहार :

(1) ऊपर विनिर्दिष्ट नियन्त्रण अयोग्य मदों/मानदण्डों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय हानि की वसूली के लिये उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी हकदार होंगे। इसी प्रकार, सहीकरण के दौरान इन मानदण्डों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्राप्तियों को आयोग समायोजित कर सकता है :

किंतु, उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी या इसके आपूर्तिकर्ताओं ठेकेदारों की गलती के कारण नियन्त्रण अयोग्य मदों में परिवर्तन हेतु किसी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव को सहीकरण में अनुमत नहीं किया जायेगा।

(2) ऊपर विनिर्दिष्ट नियन्त्रण योग्य मदों/मानदण्डों के लिये लक्ष्यों से न्यून निष्पादन के कारण किसी वित्तीय हानि की वसूली के लिये उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी हकदार नहीं होंगे। बशर्ते कि, नियन्त्रण योग्य मदों में परिवर्तन, उत्पादक कंपनी के नियन्त्रण से बाहर के कारणों से है, जैसे कि अपरिहार्य घटना, विधि में परिवर्तन, किसी न्यायालय में अधिनिर्णय या डिक्री के कारणों या वार्षिक स्वतः वृद्धि की वास्तविक दर के कारण या ऋण को अनुमोदित शर्तों के अनुसार ब्याज की दर अनुमोदित स्तरों से भिन्न होने पर। तथापि, किसी न्यायिक/न्यायिक कल्प निकाय के निर्देशों के अधीन उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किये गये किसी दण्ड या क्षतिपूर्ति या जुर्माने को सामान्यतः सहीकरण में पास थ्रू के लिये विचारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया गया हो।

(3) नियन्त्रण योग्य मदों के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों के संबंध में अति निष्पादन के कारण किसी वित्तीय प्राप्ति को उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखने की अनुमति होगी तथा इसे शुल्क में समायोजित नहीं किया जायेगा।

(4) आयोग के आदेशों/विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी प्रोत्साहन या दण्ड/निरुत्साहन तंत्र के कारण किसी वित्तीय हानि या लाभ को सहीकरण के दौरान शुल्क में समायोजित नहीं किया जायेगा।

(5) आयोग, अतिरिक्त पूंजीकरण, आपूर्ति की गुणवत्ता तथा ग्राहक सेवा मानदण्डों के लिये निर्धारित निष्पादन लक्ष्यों की न्यून प्राप्ति/अति प्राप्ति के लिये उपयुक्त समायोजन करने के लिये हकदार होगा।

7 आकस्मिकता आरक्षिति :

(1) नियन्त्रण योग्य मदों में लाभों का उपभोक्ता के भाग को आकस्मिकता आरक्षिति/नियामक दायित्व के रूप में समझा व अन्तरण किया गया समझा जायेगा जिसे यदि आयोग द्वारा उचित समझा गया तो उपभोक्ता शुल्कों में स्थिरता बनाये रखने के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

(2) आकस्मिकता आरक्षिति को एक अलग खाते में रखा जायेगा तथा वापसी अर्जित करने के लिये प्रभावी रूप से निवेशित व प्रबंधित किया जायेगा जिसे पर्याप्त तरलता सुनिश्चित कर बाजार की परिस्थितियों के आधार पर आरक्षिति में जमा किया जायेगा।

(3) इस आरक्षिति का सट्टे के उद्देश्य से उपयोग नहीं किया जायेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी के निष्पादन के आधार पर आयोग के निर्देशानुसार आकस्मिकता आरक्षिति लेखे में/से वार्षिक परिवर्धन/निकासी की जायेगी।

(5) इस आरक्षिति का किसी अन्य प्रकार से उपयोग केवल आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी आकस्मिकता आरक्षिति के लिये एक अलग खाता रखेगा तथा तुलन पत्र में आकस्मिकता आरक्षिति लेखे में शेष को प्रदर्शित करेगा।

(7) आयोग, अपवादी परिस्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी को वहन लागत के साथ या इसके बिना अधिशेष/बचत को चुका देने की अनुमति दे सकता है, यदि आयोग द्वारा उचित समझे गये अनुसार, दक्षता लाभों के माध्यम से भविष्य के वर्षों में यह रोकड़ रूप में उपलब्ध नहीं है।

अध्याय 4 : शुल्क के विभिन्न अवयवों का सहीकरण

8. वितरण तथा खुदरा आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी हेतु विक्रय व ऊर्जा क्रय का सहीकरण :

(1) राज्य के उपभोग के कारण उस वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित स्तर की तुलना में वास्तविक ऊर्जा क्रय मात्रा एवं लागत (यू आई ओवर ड्रावल सहित) में परिवर्तन, योग्यता क्रय का सिद्धान्त अपना कर सहीकरण के दौरान पास थ्रू के लिये अनुमत किया जायेगा :
किंतु योग्यता क्रम में क्रय न किये गये (योग्यता क्रम क्रय से छूट प्राप्त के अतिरिक्त) या आयोग की पूर्वानुमति के बिना हुई (आयोग की दिशा निर्देश, यदि कोई है, के अनुसार यू आई ओवर ड्रावल्स तथा लघु अवधि क्रयों के अतिरिक्त) ऊर्जा क्रय लागतों को अनुमत न करने के लिये आयोग हकदार होगा।

(2) यदि, वास्तविक वितरण हानि स्तर लक्ष्य से निम्न/उच्च है तो वास्तविक ऊर्जा क्रय तथा संबंधित लागत ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार शर्तों के अधीन मानी जायेगी। लक्ष्य विक्रय, आयोग द्वारा स्वीकृत वास्तविक ऊर्जा क्रय पर पारेषण हानि तथा लक्ष्य वितरण को लागू कर निकाला जायेगा तथा लक्ष्य से अधिक/कम अतिरिक्त/कम क्रय वास्तविक विक्रय से लक्ष्य विक्रय को घटाकर निकाला जायेगा। लक्ष्य अधि प्राप्ति/निम्न प्राप्ति में वित्तीय लाभ/(हानि) निर्धारित करने के लिये वित्तीय रूप से अतिरिक्त विक्रय के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु वास्तविक विक्रय हेतु बिलिंग की औसत दर, विक्रय मिश्रण को नियन्त्रण अयोग्य कारक मानते हुए ली जायेगी।

(3) बिलिंग की औसत दर ज्ञात करने के लिये अनुमोदित शुल्कों पर वास्तविक राजस्व विचारित किया जायेगा। तथापि, आयोग राजस्व में उपयुक्त शोधन करने का हकदार होगा यदि ये अनुमोदित शुल्क के अनुसार न हों।

9. शुल्क के अन्य अवयवों का सहीकरण :

(1) अतिरिक्त पूंजीकरण, इसके वित्त पोषण तथा उस पर अवक्षय का सहीकरण सुसंगत अधिनियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) परियोजना के अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ब्याज दरों के परिवर्तन को पास थ्रू के लिये अनुमति दी जायेगी। अनुसूचित चुकौती में सामान्यतः/किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जायेगा। मूल या ब्याज के भुगतान में चूक पर ब्याज सामान्यतः विचारित नहीं किया जायेगा।

(3) संबंधित विषय पर भिन्न विनियमों के आधार पर निर्धारित किये जाने वाली वास्तविक स्वतः वृद्धि दर के कारण ओ एंड एम व्ययों में परिवर्तन, शुल्क आदेश में अनुमोदित से भिन्न होने पर पास थ्रू के रूप में माना जायेगा :
किंतु, यदि परिवर्तन अनुमोदित स्तर के 10% के भीतर है तो कोई समायोजन करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) सरकारी वेतन संरचना के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों में सरकारी आदेश के कारण मजदूरी संशोधन के कारण ओ एंड एम व्ययों में किसी परिवर्तन की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकती है बशर्ते कि दावा पर्याप्त कारणों व समर्थन दस्तावेजों से सिद्ध किया गया हो।

(5) गैर शुल्क राजस्व सामान्यतः वास्तविक दर पर लिये जायेंगे जब तक कि इन्हें आयोग के निर्देश/विनियमों के अनुसार आशोधित करने की आवश्यकता न हो।

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

10. व्यावृत्तियाँ :

(1) न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिये आवश्यक आदेश निर्गित करने हेतु, इन विनियमों में कुछ भी आयोग की शक्तियों को प्रभावित या सीमित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

(2) इन विनियमों में कुछ भी, अधिनियम में उपबंधों के अनुरूप आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने में बाधक नहीं होगा जो कि इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से भिन्न हो, यदि आयोग मामले या मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थिति को देखते हुए ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी के निर्णय हेतु इसे उचित व समीचीन समझता है।

(3) जिस के लिये कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिये बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

11. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ :

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है जो कठिनाई दूर करने के उद्देश्य से आयोग को आवश्यक प्रतीत हों तथा अधिनियम से असंगत न हों।

12. संशोधन की शक्ति :

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में परिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

आयोग के आदेश से,

पंकज प्रकाश
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 25 हिन्दी गजट/416–भाग 1–क–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।